दिल्ली सरकार
कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0,
12वां तल, बहु–मंजिला भवन, इंद्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्लीः 110002
☎23490260, 23724560, 23311293 फैक्स 23319021
Toll Free Complaint No. 1800 11 0093
वेबसाइट: http://pwd.delhigovt.nic.in
ई–मेल: pwdhqdelhi@gmail.com/dppwdhqdelhi@gmail.com

संख्याःइ–इन–सी / पी / यूनियन / 2017 / 4284 दिनांक 28.08.2019

विषयः कामगारों की समस्याओं पर प्रमुख अभियंता कार्यालय में दिनांक 02.08.2019 को दोपहर बाद 03–00 बजे बैठक का आयोजन– बैठक का कार्यवृत ।

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग में कर्मचारियों की समस्याओं पर सी.पी.डब्ल्यू.डी. इम्पलाईज यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 02.08.2019 को दोपहर बाद 3–00 बजे बैठक का आयोजन किया गया। प्रमुख अभियंता महोदय को अचानक किसी अन्य बैठक में जाने के कारण बैठक की अध्यक्षता निदेशक(कार्मिक) द्वारा की गयी। बैठक में ऐजन्डा पर मद अनुसार चर्चा हुई व निम्न निर्णय लिये गये। बैठक में उपस्थित सदस्यों को विवरण सलंग्न है ।

मद सं. 1 : लोक निर्माण विभाग व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों को लोक निर्माण विभाग में डयूटी पर कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया जाना :

मद पर चर्चा के दौरान यूनियन द्वारा बताया गया कि पदोन्नत होने पर कर्मचारियों को लोक निर्माण विभाग में डयूटी पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाता हैं। बैठक को बताया गया कि इस कार्यालय के संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। यूनियन द्वारा भी वर्तमान में ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं लाया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि ऐसा कोई मामला संज्ञान में आने पर शिकायत पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

(कार्यवाहीः यूनियन कार्यालय)

मद सं. 2 : सी.पी.डब्ल्यू.डी. एम्पलाईज यूनियन के कार्यालय के लिये अविलम्ब जगह उपलब्ध कराया जाना :

मद पर चर्चा के दौरान बताया गया कि यूनियन कार्यालय से इस संबंध में कोई औपचारिक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ हैं। अतः मद पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संबंध में औपचारिक आवेदन / अनुरोध प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही करने हेतु कहा गया ।

(कार्यवाहीः यूनियन कार्यालय)

मद सं. 3 : साबुन व डस्टर का तुरन्त भुगतान किया जाना :

मद पर चर्चा के दौरान बताया गया कि विभाग में कर्मचारियों को नियमानुसार समय पर साबुन व डस्टर दिये जा रहे है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को समय पर साबुन व डस्टर न दिये जाने की कोई शिकायत भी इस कार्यालय के संज्ञान में नहीं लायी गयी हैं। अध्यक्ष महोदय

दिल्ली सरकार
कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो०नि०वि०,
12वां तल, बहु-मंजिला भवन, इंद्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली: 110002
फोन 23490260, 23724560, 23311293 फैक्स 23319021
Toll Free Complaint No. 1800 11 0093
वैबसाइट: http://pwd.delhigovt.nic.in
ई-मेल: pwdhqdelhi@gmail.com/dppwdhqdelhi@gmail.com

मद सं. 7 : ओ.टी एरियर का तुरन्त भुगतान किया जाना :

मद पर चर्चा के दौरान यूनियन द्वारा बताया गया कि माननीय कोर्ट के निर्णय के अनुसार कर्मचारियों को ओवर टाईम एरियर का भुगतान नही किया गया है। यूनियन द्वारा बैठक का ध्यान महानिदेशालय के पत्र दिनांक 17.12.2018 की ओर दिलाया जिसमें सुशील कुमार एवं अन्य के न्यायलय मामलें में अपने स्तर पर निर्णय लेने हेतु कहा गया हैं । बैठक को बताया गया कि महानिदेशालय के पत्र दिनांक 17.12.2018 की प्रतिलिपि संबंधित मंडल कार्यालय को भेज कर मामले की स्टेटस रिपोर्ट भिजवाने हेतु कहा गया था। इस मामले में वर्तमान स्टेटस रिपोर्ट भेजने हेतु कहा गया ।

(कार्यवाहीः मुख्य अभियंता कार्यालय)

इसके अतिरिक्त यूनियन द्वारा बताया गया कि कार्यपालक अभियंता(वै.),वेस्ट वै. मंडल,लोनिवि,नई दिल्ली कार्यालय के अन्तर्गत उप मंडल राजा गार्डन द्वारा न्यू महावीर नगर डी. ए. फलैटस-72 में तैनात पम्प चालकों को 10/2017 से बकाया ओवर टाईम का भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में कर्मियों द्वारा लिख कर भी शिकायत की गयी हैं लेकिन अभी तक कर्मियों को बकाया ओवर टाईम का भुगतान नहीं मिला है। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि जिन कर्मचारियों का ओवर टाईम बकाया है उन्हे नियमानुसार शीध्र भुगतान किया जाए ।

(कार्यवाहीः मुख्य अभियंता कार्यालय)

इसके अतिरिक्त श्री जगदीश मीणा, पम्प ऑपरेटर को द्वितीय एम.ए.सी.पी. के विषय में चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय ने उसी समय संबंधित कार्यपालक अभियंता से दूरभाष पर वार्तालाप किया गया व मामले को अति शीध्र निपटाने हेतु निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाहीः कार्य. अभियंता(वै.) दिल्ली हाई कोर्ट मं.)

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया ।
यह कार्यवृत प्रमुख अभियंता महोदय के अनुमोदन के पश्चात जारी किया जा रहा है ।

(संजीव माथुर)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. सभी मुख्य अभियंता कार्यालय, लोनिवि, नई दिल्ली ।
2. संयुक्त सचिव,सी.पी.डब्ल्यूडी एम्पलाईज यूनियन, बी-78/3, दिलशाद कालोनी, दिल्ली-110095 ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

दिल्ली सरकार
कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0,
12वां तल, बहु–मंजिला भवन, इंद्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्लीः 110002
☎23490260, 23724560, 23311293 फैक्स 23319021
Toll Free Complaint No. 1800 11 0093
वेंबसाइट: http://pwd.delhigovt.nic.in
ई–मेल: pwdhqdelhi@gmail.com/dppwdhqdelhi@gmail.com

द्वारा कामगारों को समय पर नियमानुसार साबुन व डस्टर दिये जाने हेतु कहा गया ।

(कार्यवाहीः संबंधित मुख्य अभियंता कार्यालय)

मद सं. 4 : टूल एलाउन्स एवं साईकिल एलाउन्स का तुरन्त भुगतान किया जाना :

मद पर चर्चा के दौरान यूनियन द्वारा बताया गया कि विभाग के कुछ मंडलों द्वारा कर्मचारियों को साईकिल एलाउन्स का भुगतान नहीं किया जा रहा हैं । बैठक में बताया गया कि पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार साईकिल एलाउन्स का भुगतान किया जा रहा हैं जहॉ तक टूल एलाउन्स का संबंध है यह सातवे वेतन आयोग की शिफारिशों के अनुसार बन्द कर दिया गया हैं । अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कार्यालयों को साईकिल एलाउन्स का भुगातन समय पर करने हेतु कहा गया ।

(कार्यवाहीःसंबंधित मुख्य अभियंता कार्यालय)

मद सं. 5 : दैनिक वेतन भोगी ठेकेदार के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, ई.एस.आई.,पी.एफ. का लाभ न दिया जाना :

मद पर चर्चा के दौरान यूनियन द्वारा बताया गया कि दैनिक वेतन भोगी ठेकेदार के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, ई.एस.आई. एवं पी. एफ. का लाभ नहीं दिया जा रहा है । बैठक में बताया गया कि विभाग में दैनिक वेतन भोगी ठेकेदार के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन,पी.एफ. इत्यादि का लाभ दिया जा रहा है। सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों / निर्देशों का पालन करने हेतु कार्यालय द्वारा अधीनस्थ अंचल कार्यालयों को लिखा जाता रहा हैं।

(कार्यवाहीः मुख्य अभियंता कार्यालय)

मद सं. 6 : मेडिकल बिलों का भुगतान समय से नहीं किया जाना :

मद पर चर्चा के दौरान यूनियन द्वारा बताया गया कि कर्मचारियों के मेडिकल बिलों को भुगतान समय पर नहीं किया जाता हैं कुछ मामलों में भुगतान में तीन–चार महीनों के बाद भी नहीं किया गया हैं जिस कारण कर्मचारियों को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा मेडिकल बिलों के भुगतान में विलंब होने को गम्भीरता से लिया तथा निर्देश दिये गये कि सभी अंचल कार्यालय नियमानुसार जॉच के पश्चात कर्मचारियों के मेडिकल बिलों का भुगतान 15 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित किया जाए ।

(कार्यवाहीः मुख्य अभियंता कार्यालय)

दिल्ली सरकार
कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो०नि०वि०,
12वां तल, बहु–मंजिला भवन, इंद्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्लीः 110002
☏23490260, 23724560, 23311293 फैक्स 23319021
Toll Free Complaint No. 1800 11 0093
वेंबसाइट: http://pwd.delhigovt.nic.in
ई–मेल: pwdhqdelhi@gmail.com/dppwdhqdelhi@gmail.com

कामगारों की समस्याओं पर प्रमुख अभियंता कार्यालय में दिनांक 02.08.2019 को दोपहर बाद 03–00 बजे आयोजित बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम (सर्व श्री) व पद नाम	पद
1.	अभिमंयु कुमार,निदेशक (कार्मिक)	अध्यक्ष
2.	संजीव माथुर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
3.	सुंदर सिंह	महासचिव
4.	सुशील कुमार	संयुक्त सचिव
5.	गोपाल दत्त	संयुक्त सचिव
6.	मुरलीधर	सचिव
7.	सुखपाल	सचिव
8.	राम प्रताप	सचिव
9.	जगदीश	सचिव